भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *351 (ग्यारहवीं स्थिति)

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

***351. सुश्री दिया कुमारीः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य धनराशि की हिस्सेदारी से संबंधित पद्धति क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी घरों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *351 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पूर्वकालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) जो अब जल जीवन मिशन (जेजेएम) में सन्निविष्ट हो गया है, के अंतर्गत, उचित दूरी पर स्रोत से न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) पीने योग्य जल प्राप्त करने वाली बसावटों की दृष्टि से कवरेज की निगरानी की जाती थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 08.12.2019 तक 76.61 प्रतिशत आबादी वाली 81.27 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों में न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) पीने योग्य पेयजल का प्रावधान है और 19.69 प्रतिशत आबादी वाली 15.56 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से कम का सेवा स्तर प्राप्त है जबकि 3.69 प्रतिशत आबादी वाली 3.17 प्रतिशत ग्रामीण बसावटों के जल स्रोतों में गुणवत्ता की समस्या है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ग्रामीण बसावटों के कवरेज का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **'अनुलग्नक'** में दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 'एनआरडीडब्ल्यूपी' के लिए केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निधि विभाजन का अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमएस) के अंतर्गत, निधियन अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत, हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

(ग) भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर उनके प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. इस उद्देश्य हेतु पिछले पांच वर्षों में राज्यों को 31,569.77 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
ii. यह विभाग, वर्ष 2014 से असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कम आय वाले राज्यों में पाइप से जलापूर्ति में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से 'ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना- कम आय वाले राज्य' (आरडब्ल्यूएसएसपी-एलआईएस) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के लिए इन राज्यों को अब तक 1,185.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
iii. आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित राज्यों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की संस्थापना और पीडब्ल्यूएस स्कीमों की शुरूआत करने के लिए वर्ष 2016 में 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
iv. पहचान की गई 27,544 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान देने के लिए, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-

मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की गई और अब तक 3690.34 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए जारी की गई है।

v. एनआरडीडब्ल्यूपी (अब के जेजेएम) के भाग के रूप में असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जापानी एनसेफेलाइटिस/उग्र एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) प्रभावित 60 जिलों के लिए पिछले पांच वर्षों में 406.8 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

vi. 28 राज्यों के सभी आकांक्षी जिलों में कार्यान्वयन हेतु, एक समुदाय उन्मुख, एकल ग्राम, सौर ऊर्जा द्वारा चालित, पाइप युक्त जलापूर्ति की लघु-स्कीम 'स्वजल' की फरवरी, 2018 में शुरूआत की गई थी और एनआरडीडब्ल्यूपी की फ्लेक्सी निधियों से धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

vii. वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान, एक समय-बद्ध, मिशन मोड जल संरक्षण अभियान 'जल शक्ति अभियान' (जेजेएम) की शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य संचार अभियान की मार्फत, जल संरक्षण को एक 'जन आंदोलन' बनाना है।

viii. भविष्य में सभी ग्रामीण घरों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य राज्यों के साथ भागीदारी में 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से योग्य जल उपलब्ध कराना है। वर्तमान वर्ष के दौरान 4525.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

ix. शक्ति के विकेन्द्रीकरण हेतु और भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में, जेजेएम के तहत ग्राम पंचायत अथवा इसकी उप-समिति/उपयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) अथवा पानी समिति द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की गांवों में अवसंरचनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव किया जाएगा।

x. जेजेएम की शुरूआत के बाद, नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके बाद जेजेएम के विभिन्न पहलुओं और इनके कार्यान्वयन की पद्धति पर चर्चा करने हेतु पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

*****

दिनांक 12.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 351 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रामीण आबादी के कवरेज का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

(09.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण बसावटों की कुल संख्या	40 एलपीसीडी अथवा इससे अधिक पीने योग्य जल की उपलब्धता वाली ग्रामीण बसावटों की संख्या	40 एलपीसीडी से कम पीने योग्य जल प्राप्त करने वाली ग्रामीण आबादी की संख्या	जल स्रोतों में गुणवत्ता की समस्या वाली ग्रामीण बसावटों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	400	324	76	0
2.	आंध्र प्रदेश	48,663	34,578	13,805	280
3.	अरुणाचल प्रदेश	7,525	3,303	4,195	27
4.	असम	88,076	55,767	23,663	8,646
5.	बिहार	1,10,218	70,988	35,422	3,808
6.	छत्तीसगढ़	74,753	72,792	1,455	506
7.	गोवा	347	345	2	0
8.	गुजरात	35,996	35,996	0	0
9.	हरियाणा	7,655	7,305	263	87
10.	हिमाचल प्रदेश	54,469	42,631	11,838	0
11.	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	14,625	8,750	5,864	11
12.	झारखंड	1,20,591	1,19,729	334	528
13.	कर्नाटक	59,774	34,345	24,979	450
14.	केरल	21,520	6,165	15,031	324
15.	मध्य प्रदेश	1,28,231	1,28,080	2	149
16.	महाराष्ट्र	99,641	84,835	14,636	170
17.	मणिपुर	2,976	2,050	926	0
18.	मेघालय	10,470	4,124	6,339	7
19.	मिजोरम	720	490	230	0
20.	नागालैंड	1,450	742	708	0
21.	ओडिशा	1,57,013	1,54,477	127	2,409
22.	पुडुचेरी	266	153	113	0
23.	पंजाब	15,190	10,485	1,500	3,205
24.	राजस्थान	1,21,526	62,783	41,918	16,825
25.	सिक्किम	2,337	861	1,476	0
26.	तमिलनाडु	1,00,014	96,876	3,138	0
27.	तेलंगाना	24,597	15,405	8,848	344
28.	त्रिपुरा	8,723	5,020	1,326	2,377
29.	उत्तर प्रदेश	2,60,018	2,56,913	1,950	1,155
30.	उत्तराखंड	39,311	23,202	16,100	9
31.	पश्चिम बंगाल	1,07,328	61,905	32,100	13,323
	कुल	**17,24,423**	**14,01,419**	**2,68,364**	**54,640**
		प्रतिशत	**81.27**	**15.56**	**3.17**

(स्रोत: आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस)